न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)
अपील संख्याः–272/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/272)

1. विजेन्द्र सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति रावत, निवासी मुण्डोती, तहसील मसूदा जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर, अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 137/2014 (2014/00770).

उपस्थितः–

1. श्री जी0एस0 लखावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02.

निर्णय

दिनांकः–02.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 137/2014 (2014/00770) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया तथा प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के कथनों से इंकार करते हुए वाद खारिज करने का निवेदन किया। तत्पश्चात वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य लेखबद्ध करके विचारण न्यायालय ने कुल 4 तनकीयात कायम करते हुए तनकीवार निर्णय करते हुए वादी का वाद दिनांक 16.8.2022 को खारिज फरमा दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 137/2014 (2014/00770) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर ने तनकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

संख्या 1 का निस्तारण करते समय इस बिंदु को नजरअंदाज किया कि भू संशोधन के दौरान सम्वत 2028 में बुद्धा पुत्र पीरू को खातेदार अंकित किया गया था तत्पश्चात इस भूमि पर भौतिक धारण व कब्जा काश्त अपीलार्थी का होने से अपीलार्थी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे परंतु इस बिंदु को नजरअंदाज कर जो निर्णय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर ने पारित किया है वह अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर ने इस बिंदु को नजरअंदाज किया कि अपीलार्थी ने वर्तमान वाद खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया तथा भूमि अपीलार्थी की खातेदारी में नहीं है तथा भूमि के समय–समय पर की गई कार्यवाही जो प्रदर्श–5, 8, 9, 10, 13, 15 तथा 18 तथा निर्णय दिनांक 16.1.2007 तथा प्रदर्श–25 से पूर्णतया स्पष्ट है इस प्रकार भौतिक धारण अपीलार्थी का साबित होने से विधिक प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी इस भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका हैं परंतु इन दस्तावेजों का अवैधानिक पहुंच रखते हुए विवेचन कर अपीलार्थी के वाद को निरस्त कर उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर ने जो आदेश पारित किया है वह अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। भू–संशोधन के दौरान सम्वत 2028 में इस भूमि बाबत बुद्धा पुत्र पीरू को खातेदार अंकित किया था तत्पश्चात अभिलेख को मान्यता नहीं मिलने के कारण भूमि सिवायचक दर्ज रह गई इस कारण बुद्धा पुत्र पीरू से भौतिक धारण तो अपीलार्थी ने प्राप्त कर लिया परंतु दस्तावेज का पंजियन अभिलेख त्रुटिपूर्ण होने से संभव नहीं हो सका, परंतु 1970 के आवंटन नियमों में अजमेर जिले के काश्तकारों को अभिलेख में कारित त्रुटि से भूमि का आवंटन नियमन का प्रावधान किया गया था, इस बाबत विचार नहीं कर उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर ने जो आदेश पारित किया है वह अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 137/2014 (2014/00770) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि तहसीलदार ब्यावर ने कैम्प कोर्ट बलाड में आदेशिका दिनांक 28.9.2015 में कथन अंकित किए है कि राजस्व रेकार्ड में भूमि सिवायचक है, रास्ता बाबत भी तत्कालीन तहसीलदार ने विवाद बताकर प्रकरण ड्रोप किया है वादी का वाद पर्याप्त सबुत प्रस्तुत नहीं करने से खारिज योग्य हैं। वाद–पत्र एवं तहसीलदार ब्यावर के उक्त आदेशिका पर अंकित जवाब के आधर पर प्रकरण में अनुतोष सहित 4 तनकियात कायम की गई। प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद भी पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी का हक बंद किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण पर 4 तनकीयात कायम की जिसमें यह पाया गया वादी ने बेचान का इकरारनामा प्रस्तुत किया है वह सिवायचक भूमि का आपस में दो व्यक्तियों के बीच किया गया अनुबंध मात्र है जो सिवायचक भूमि पर बिना किसी अधिकार के किया गया है जो प्रारंभ से ही शून्य दस्तावेज है। यहां यह उल्लेखनीय है कि सेटलमेंट की कार्यवाही किसी को खातेदारी अधिकार देने के सबंध में नहीं की गई थी व न ही ऐसी कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

कार्यवाही की गई। वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है कि सेटलमेंट के पूर्व अथवा सेटलमेंट के दौरान विवादित आराजी बाबत बुद्धा पुत्र पीरू को कोई खातेदारी अधिकार हासिल हुए हो। वादी एक अतिक्रमी की हैसियत से वादी कब्जा मुखालफाना के सिद्धान्तानुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। खसरा संख्या 1945 रकबा 04–15–00 की भूमि राजस्व अभिलेखों में सिवायचक दर्ज है एवं वादी विवादित आराजी पर अतिक्रमी के रूप में काबिज हुआ जिसे समय–समय पर बेदखल किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांट ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया तथा प्रतिवादी की ओर से राजकीय पैरोकार ने अपने जवाब में वादी के कथनों से इंकार करते हुए वाद खारिज करने का निवेदन किया। तत्पश्चात वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य लेखबद्ध करके विचारण न्यायालय ने कुल 4 तनकीयात कायम करते हुए तनकीवार निर्णय करते हुए वादी का वाद दिनांक 16.8.2022 को खारिज कर दिया, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन है कि भू–संशोधन के दौरान सम्वत 2028 में इस भूमि बाबत बुद्धा पुत्र पीरू को खातेदार अंकित किया था तत्पश्चात अभिलखे को मान्यता नहीं मिलने के कारण भूमि सिवायचक दर्ज रह गई इस कारण बुद्धा पुत्र पीरू से भौतिक धारण तो अपीलार्थी ने प्राप्त कर लिया परंतु दस्तावेज का पंजियन अभिलेख त्रुटिपूर्ण होने से संभव नहीं हो सका, परंतु 1970 के आवंटन नियमों में अजमेर जिले के काश्तकारों को अभिलेख में कारित त्रुटि से भूमि का आवंटन नियमन का प्रावधान किया गया था किन्तु उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने इस तथ्य को नजरअंदाज करते जो आदेश पारित किया है वह अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है किन्तु पत्रावलियो के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम रूपाहेली (बलाड़) सेटलमेन्ट के दौरान सम्वत 2028 में बुद्धा पुत्र पीरू रावत के खातेदार से प्राप्त हुई है किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ना ही अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्मित तनकी संख्या 01 में भी इस बाबत् स्पष्ट उल्लेख किया है कि सेटलमेन्ट की कार्यवाही किसी को खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में नहीं की गई थी। वादी/अपीलांट ने ऐसा कोई भी दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया कि सेटलमेन्ट से पूर्व अथवा सेटलमेन्ट के दौराने विवादित आराजी बाबत् बुद्धा पुत्र पीरू को खातेदार अधिकार हासिल हुए हों। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वादी/अपीलांट ने विवादित आराजी पर समय–समय पर अतिक्रमण किया गया है जिसे धारा 91 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत् नोटिस जारी किये जाकर बेदखल किया गया है। एक अतिक्रमी की हैसियत से वादी कब्जा के

CamScanner

मुखालफाना के सिद्धान्त अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अभिभाषक अपीलांट का यह भी तर्क है कि बुद्धा पुत्र पीरू ने उक्त वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी का कब्जा एवं मालिकाना का बताते हुए वादी को जरिये इकरारनामा बेचान किया है, जबकि पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आता है कि वादी ने बेचान का इकरारनामा प्रस्तुत किया है वह सिवायचक भूमि का आपस में दो व्यक्तियों के बीचं किया गया अनुबन्ध मात्र है जो प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात जो कि शुरू से ही राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है अपीलांट/वादी मात्र एक अतिक्रमी की हैसियत से खातेदारी अधिकारी उद्घोषणा प्राप्त करना चाहता है जो दस्तावेजी साक्ष्यो के अभाव में ग्राहय योग्य नही हैं। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 137/2014 (2014/00770) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.08.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 02.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

CamScanner